

दिनांक

आज्ञा पत्र

22.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री सांवरमल चौधरी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब किया जाकर पत्रावली आ.ता. पेशी 29.08.2024 को पेश हो।

+

उपखण्ड अधिकारी सीकर

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 21/08/24 को पेश हो

29/8/24

9/8/24

पत्रावली पेश / अधि. उभयपक्ष हाजिर / रेस्पों. सं. 1 की ओर से अधि. श्री महेन्द्र जाखड़ हाजिर / रेस्पों. संख्या 1 ने न्यायालय द्वारा के समक्ष उपस्थित होकर अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। रेस्पों. सं. 1 की पहचान अधि. रेस्पों. श्री महेन्द्र जाखड़ द्वारा की गई। अपीलान्त ने भी अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः अपील, अपीलान्त को रेस्पों. की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तरण संख्या 1879 अंश पंचायत सिंहासन तह व जिला सीकर स्वीकृत दिनांक 20.06.2024 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल कुमार होकर नम्बर से कम है। दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं श्रीराम पहचानकर्ता

Imahyap 04/08/24

अधिवक्ता 2024 4/08/24

+

उपखण्ड अधिकारी, सीकर